

कौशल भवन, न्यू मोती बाग,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 25 नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद के संबंध में:-

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के कार्यालय-ज्ञापन सं 11011/12/2024-रा.भा. (अनु.) तथा दिनांक 05 मार्च, 1990 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 20034/6/90-रा.भा. (पत्रिका) संलग्न के अनुसरण में प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना तथा हिंदी पुस्तकों की खरीद अपेक्षित है जिसके लिए दिशानिदेशों के अनुपुरक के रूप में निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं:

- I. पुस्तकों की खरीद हेतु कुल अनुदान राशि का कम से कम 50% हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया जाना अपेक्षित है।
- II. पुस्तकालयों हेतु निम्न प्रकार की पुस्तकों की खरीद की जा सकती है:
 - क. हिंदी में काम करने के लिए संदर्भ ग्रन्थ जैसे शब्दकोश, शब्दावली, विभाग/कार्यालय के काम से संबंधित विषयों पर हिंदी में पुस्तकें।
 - ख. मंत्रालयों/विभागों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यालयों में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकार की हिंदी में प्रयाप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, वे निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के ले हिंदी की शब्दावलियों/कार्यालय सहायिकाओं/संदर्भ ग्रंथों को खरीदें।
 - ग. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मौलिक पुस्तक लेखन योजनाओं के अन्तर्गत पुरस्कृत और प्रकाशित पुस्तकें।
 - घ. इसके अलावा, राजभाषा विभाग के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में उल्लिखित हिंदी शास्त्रीय साहित्य की किताबें।
 - ङ. भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा हिंदी में प्रकाशित किताबें।
 - च. राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई गई किताबों की सूची से।

2. सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों तथा कार्यालयाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन (मुख्यालय) से अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से महानिदेशालय के हिंदी एकक को अवगत कराएं।

इसे उप महानिदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

राजेश मीना

(राजेश मीना)

उप निदेशक, राजभाषा (प्रभारी)

प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुख
2. कार्यालयाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन, डीजीटी

प्रति सूचनार्थ:

1. महानिदेशक/अपर सचिव के पीएसओ
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
3. संयुक्त सचिव (राजभाषा), एमएसडीई
4. उप महानिदेशक के प्र.नि. सचिव
5. निदेशक, सीएफआई
6. उप सचिव (राजभाषा), एमएसडीई
7. सहायक निदेशक (राजभाषा), एमएसडीई
8. सहायक निदेशक (आईटी सेल)-डीजीटी के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ